राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-SPARSH-Meeting/306 दिनांक 29/4/2026

समस्त
विभागाध्यक्ष
एस.एन.ए.–स्पर्श।

विषयः– भारत सरकार की **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2026–27 के अन्तर्गत SNA-SPARSH DBT के संबंध में।**

संदर्भः– वित्त (मार्गोपाय) विभाग के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.3(6) वि.मा. / 2026–27 दिनांक 24.04.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2026–27 अन्तर्गत निर्धारित Reforms/Milestone समय पर प्राप्त किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2026 को 10.30 A.M. पर बैठक आयोजित की गई थी।

इस संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव, वित्त महोदय द्वारा SASCI Guidelines के अनुसार 100% Aadhar Based DBT का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए गए।

उपरोक्त संदर्भ में आपके विभाग द्वारा संचालित की जा रही SLS के अन्तर्गत आधार DBT योग्य Schemes को चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाने तथा ऐसी चिन्हित Schemes की शीघ्र Onboarding के लिए अपने विभाग के संबंधित कार्मिकों को IFMS की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित करने के लिए भी निर्देशित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया,
29/4/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-SPARSH-Meeting/307-309 दिनांक 29/4/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांक प.3 (6)वि.मा./2026-27 जयपुर, दिनांक 24.4.26

बैठक कार्यवाही विवरण

भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2026-27 भाग III, IV, IX एवं XI के अंतर्गत निर्धारित Reforms/Milestone समय पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार विमर्श हेतु प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2026 को 10:30 A.M पर उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. शासन सचिव, वित्त (व्यय)
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)
3. निदेशक (बजट)
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग
5. अतिरिक्त निदेशक, IFMS

2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा योजना के भाग-III (Incentive for achieving targets for capital expenditure) की द्वितीय शर्त के अनुसार माह अप्रैल 2026 से सितम्बर 2026 की अवधि में पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की इसी अवधि में हुए व्यय में अपेक्षित 10% वृद्धि सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए है ताकि 50% Incentive राशि प्राप्त हो सके। इस क्रम में उनके द्वारा शासन सचिव (व्यय) को बजट घोषणा से सम्बंधित पूंजीगत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु कहा गया।

3. योजना के भाग-IV (Strengthening public finance IT infrastructure) -प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा योजना के इस भाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग तथा अतिरिक्त निदेशक, IFMS को निर्देशित किया गया। उक्त में 100% Aadhar Based DBT करने तथा Online प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु Module पर आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा e-HRMS के क्रम में की गयी कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने हेतु शासन सचिव, कार्मिक विभाग से दूरभाष पर वार्ता की गयी। निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग तथा अतिरिक्त निदेशक, IFMS द्वारा SHPP Portal को Golive करने तथा सभी बिन्दुओं पर निर्धारित समय में कार्यवाही पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया।

4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा योजना के भाग-IX (Incentive to States for Efficiency in Financial Management) के अंतर्गत की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही यथा बकाया CSSs को SNA-SPARSH पर Onboard किये जाने, SNA खाते की अवशेष राशि तथा ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने के निर्देश दिए गए। निदेशक (बजट) के द्वारा बकाया सभी CSSs को SNA-SPARSH पर Onboard किये जाने, SNA खाते

की अवशेष राशि तथा ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने हेतु सम्बंधित सभी विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा e-Bill facilitation के क्रम में ink-signed की बाध्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो सयुक्त शासन सचिव (वित्तीय नियम) से सम्पर्क कर नियमों में संशोधन करवाने हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा को निर्देशित किया गया।

5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा योजना के भाग-XI (Fiscal Discipline and Fiscal Consolidation) के क्रम में सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए इस क्रम में MTDS का प्रारूप शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। CAG website पर वर्तमान में जो बिंदु प्रदर्शित नहीं हो रहे है के क्रम में महालेखाकार, राजस्थान से सम्पर्क कर प्रदर्शित करवाने के निर्देश दिए गए।
6. उक्त के अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा Additional borrowing for water sector intervation (यमुना जल, JJM आदि) हेतु जल शक्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर
2. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) , राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) , राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक (बजट) , राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक, IFMS, राजस्थान, जयपुर

निदेशक (बजट)